रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 193] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 1968/ज्येष्ठ 10, 1890
No. 193] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 1968/JYAISTHA 10, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May 1968

S.O. 1952.—In exercise of the powers conferred by Section 82B of the Indian Railways Act, 1890 (Act IX of 1890), the Central Government hereby appoint Shri Mohiuddin Ahmad, I.A.S., as a whole time Claims Commissioner to deal with all the claims arising out of the accident involving No. 2 AGA Down Passenger and No. 406 Down Goods Trains on 30th March 1968 at Bharwari Station on the Fatehpur—Allahabad section of Northern Railway. His headquarters will be at Allahabad.

[No. E(O)II68-API/4.]

C. S. PARAMESWARAN, Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नयी दिल्ली, 31 मई, 1968

एस० ओ० 1953.—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का अधिनियम IX) की धारा 82-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा

श्री मोहिउद्दीन अहमद, आई० ए० एस०, को, उत्तर रेलवे के फतेहपुर—इलाहाबाद खण्ड के भरवारी स्टेशन पर 30-3-1968 को नं० 2 ए जी ए डाउन सवारी गाड़ी और नं० 406 डाउन माल गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले दावों के निपटारे के लिए, पूर्णकालिक दावा कमिश्नर के रूप में नियुक्त करती है। श्री मोहिउद्दीन अहमद का मुख्यालय इलाहाबाद होगा।

[सं० ई (ओ)II 68-ए० पी० 1/4.]

सी० एस० परमेश्वरन, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968